

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी./83-भा/अलेसे-11/7154-7201

दिनांक-18.04.2012

कार्यालय आदेश संख्या 05/2012-13

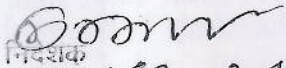
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रुल्स/2003/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसंग में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.नं.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं ग्रेड-पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	अशोक कुमार गांधी	01.08.1960	11.03.1985	11.03.2012	
2	अनिल कुमार जैन	18.02.1961	11.03.1985	11.03.2012	
3	ब्रजेश कुमार शर्मा	01.08.1962	11.03.1985	11.03.2012	
4	बजरंग सिंह	04.05.1957	11.03.1985	11.03.2012	
5	भूपर सिंह पुरोहित	10.07.1960	11.03.1985	11.03.2012	
6	भमाराम जाट	07.08.1960	11.03.1985	11.03.2012	
7	दीपक कुमार	24.01.1962	11.03.1985	11.03.2012	
8	गोपाल गुप्ता	27.07.1956	11.03.1985	11.03.2012	
9	गणेश नारायण अवस्थी	05.06.1958	11.03.1985	11.03.2012	
10	घनश्याम गुप्ता	03.07.1961	11.03.1985	11.03.2012	
11	हर्षवर्धन सोनी	22.09.1958	11.03.1985	11.03.2012	
12	जयकिशन स्वामी	07.07.1956	11.03.1985	11.03.2012	
13	अशोक कुमार जैन	10.09.1961	11.03.1985	11.03.2012	
14	बजरंग लाल शर्मा	01.03.1961	11.03.1985	11.03.2012	
15	ब्रज मोहन गरी	22.07.1957	11.03.1985	11.03.2012	
16	घनेश चन्द्र जैन	01.07.1960	11.03.1985	11.03.2012	
17	दुर्गाराज चौधरी	01.01.1956	11.03.1985	11.03.2012	
18	दिनेश कुमार भारीक	28.05.1962	11.03.1985	11.03.2012	
19	घनश्याम सिंह	16.07.1958	11.03.1985	11.03.2012	
20	गुलजारी लाल	29.10.1960	11.03.1985	11.03.2012	
21	गजानन्द शर्मा	24.07.1957	11.03.1985	11.03.2012	
22	गोपाल लाल सुखवाल	08.01.1962	11.03.1985	11.03.2012	
23	हैमन्द कुमार पहाड़	22.11.1959	11.03.1985	11.03.2012	
24	हरि वल्लभ ओझा	22.03.1960	11.03.1985	11.03.2012	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व रतान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 13 से 24 पर उल्लेखित लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य-मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्ष की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारों की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्स्थापित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं तथा ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है तथा वित्त विभाग के आदेश एफ-20 (1) एफ डी (ग्रुप-2)/92 Pt (RSR-3/95) दिनांक 16.02.95 के अनुसार दिनांक 25.01.92 अथवा इसके पश्चात् किसी भी लेखाकार द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत नहीं कराया गया है। इसकी भी सुनिश्चितता आवश्यक रूप से कर ली जावे। उक्त प्रमाण पत्र वेतन स्थिरीकरण के समय आदेश में अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।


निदेशक

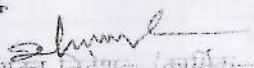
दिनांक-

18/4/2012

क्रमांक :- एफ 3 (ग) ए.सी.पी. / 83-III / अलेसे-11/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विभागध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष
2. श्री..... लेखाकार, कार्यालय.....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाइल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (विभागीय हेतु)।


संयुक्त निदेशक (कार्य-1)